

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा (राज0)

क्रमांक / राज0 / प्र0सं0 / 269 / 2019

दिनांक 02/11/2020

प्रेषित,

तहसीलदार, माण्डलगढ

विषय :- पत्थरगढी करने बाबत।

उनवान

- 1 सांवरा पिता मांगू भील निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ।
- 2 धन्ना पिता मांगू भील निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ।
- 3 रमेशचन्द्र पिता मांगू भील निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ।

—प्रार्थीगण

बनाम

- 1 भूरसिंह पुत्र नामालुम राजपूत निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ।
- 2 श्रीकृष्ण पुत्र संग्राम भील निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ।
- 3 उदा पुत्र नामालुम धाकड निवासी हन्सेडा तहसील जहाजपुर।
- 4 भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाडा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानिक प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि ग्राम काछोला प.ह. काछोला की सरहद में स्थित आराजी संख्या 382 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा आराजी नम्बर 404 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 404/1 रकबा 5 बिस्वा व आराजी नम्बर 2661/378 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा कुल कित्ता 4 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा भूमि वशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी की जावें। प्रार्थी कमिश्नर फीस 500/- रूपये मौके पर वक्त पत्थरगढी अदा करें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावें तो सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 1 माह में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

उत्साह चौधरी(आई.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी

माण्डलगढ